

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: डॉ. दिनेश राय सापेला, आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या: 26/2024

अपीलार्थी

हुसैनी मिशन ग्राम विकास संस्थान, वासन जरिये उसके प्राधिकृत अधिकारी श्री ईनायत हुसैन जैदी पुत्र श्री गयूर हुसैन जैदी, जाति- मुसलमान, निवासी- वासन, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही, हाल निवास- मानपुर, तहसील- आबूरोड़, जिला- सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थागण

(1) श्री जेठाराम माली पुत्र श्री गेनाराम माली, जाति- माली, निवासी- बडगांव, तहसील- रानीवाडा, जिला- जालोर

(2) राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रेवदर, जिला- सिरोही

“अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956”

उपस्थिति:

(1) अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे, अपीलार्थी की ओर से

(2) अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित, प्रत्यर्था संख्या: 1 (एक) की ओर से

(3) परोकार सरकार, प्रत्यर्था संख्या- 2 (दो) की ओर से


-: निर्णय :-

दिनांक 28 मई, 2025

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं। अपीलार्थी की ओर से यह अपील तहसीलदार, रेवदर द्वारा प्रत्यर्था संख्या 1 (एक) के पक्ष में जारी संपरिवर्तत आदेश क्रमांक: LC/2023-24/159755 दिनांक 16-5-2023 को निरस्त कराने हेतु प्रत्यर्थागण के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थागण को सम्मन जारी किये गये। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्था संख्या: 1 (एक) की ओर से अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित उपस्थित हुये एवं प्रत्यर्था संख्या 2 (दो) की ओर से परोकार सरकार उपस्थित हुये।


(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री दवे ने अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अपीलार्थी हुसैनी मिशन ग्राम विकास संस्थान, वासन एक पंजीकृत संस्था है, जिसके पंजीकरण संख्या: 57/सिरोही/2006-07 दिनांक 01.03.2007 है व ईनायत हुसैन जैदी इस अपील प्रस्तुती हेतु व संस्था के समस्त प्रकार के कार्य करने हेतु विधिवत प्राधिकृत अधिकारी है। अपीलार्थी संस्था की खातेदारी एवं कब्जे की ग्राम वासन, पटवार हल्का वासन, तहसील रेवदर में खसरा संख्या 855 की रकबा 08-11 बीघा तथा खसरा संख्या 858 रकबा 02-09 बीघा कुल 11 बीघा कृषि भूमि स्थित है। उक्त कृषि भूमि के 1/3 हिस्से के तत्कालीन खातेदार नबु खां ने दिनांक 19-2-2005 की मोहरम के दसवें पर अपने वारीसान व अपनी पत्नि आदि के साथ ग्राम के आम लोगों के समक्ष अपनी उक्त कृषि भूमि अपीलार्थी संस्था को स्वेच्छा से हिबा (दान) कर उसका कब्जा अपीलार्थी संस्था को दे दिया था व अपीलार्थी संस्था ने हिबा स्वीकार कर कब्जा प्राप्त कर लिया था, तबसे अपीलार्थी संस्था ही हिबा में प्राप्त उक्त भूमि पर बतौर खातेदार काबिज काशत है। जिस पर अपील प्रस्तुत करने के समय मौके पर अरण्डी की फसल खड़ी हुई थी। उस समय अपीलार्थी संस्था पंजीकृत नहीं होने से राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों ने विधि के सिद्धान्तों के विपरित अपीलार्थी संस्था के नाम नामान्तरकरणपेज दो पर


अति. जिला कलेक्टर
सिरोही (राज.)



दर्ज नहीं किया था। विवादित भूमि के 2/3 हिस्से की कृषि भूमि का जलफु खां व शराफत हुसैन ने स्वेच्छा से हिबा दान अपीलार्थी संस्थान को सार्वजनिक रूप से माह अगस्त, 2019 में ग्राम वासन में मौखिक रूप से कर मौके पर कब्जा सुपर्द कर दिया था, तब से अपीलार्थी संस्था ही हिबा (दान) में प्राप्त कृषि भूमि पर बतौर खातेदार काबिज काश्त है। मौखिक हिबा के आधार पर हिबा में अपीलार्थी को प्राप्त कृषि भूमि का बार-बार निवेदन पर भी नामान्तरकरण, अपीलार्थी के नाम से राजस्व अधिकारीयो एवं कर्मचारीयो द्वारा नहीं भरने पर दिनांक 02-9-2019 को उक्त हिबादाताओ ने अपीलार्थी के हक में एक लिखित हिबा निष्पादित कर नोटैराईज करा दिया था, किन्तु फिर भी अपीलार्थी के नाम से नामान्तरकरण दर्ज नहीं किया गया और हिबा लिखत पंजीकृत नहीं होने का एतराज किया गया। उक्त हिबा (दान) में अपीलार्थी को प्राप्त कृषि भूमि को अपीलार्थी संस्था ने अपने नाम जरिये नामान्तरकरण राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने का प्रयास किया किन्तु अपीलार्थी संस्था के नाम नबु खां द्वारा हिबा की गई उक्त वर्णित कृषि भूमि का नामान्तरकरण दर्ज नहीं किया गया। अपीलार्थी द्वारा जानकारी लेने पर राजस्व कर्मचारीयो एवं अधिकारीयो ने अपीलार्थी के पदाधिकारीयो को बताया था कि बिना लिखित हिबा (दान) दस्तावेज के नामान्तरकरण दर्ज नहीं हो सकता है और उसी प्रकार दिनांक 02-9-2019 के हिबा को पंजीकृत नहीं होने की वजह से नामान्तरकरण दर्ज नहीं हो सकता और इसी वजह से राजस्व रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी संस्था ने उक्त हिबा (दान) लिखत दिनांक 02-9-2019 के आधार पर अपने नाम नामान्तरकरण दर्ज कराने हेतु तहसीलदार, रेवदर को दिनांक 27-2-2023 का दिनांकित प्रार्थना पत्र दिनांक 12-3-2023 को पेश किया था, जिसे तहसीलदार, रेवदर ने जांच किया जाना अपीलार्थी संस्था को बताया था, लेकिन माह अगस्त, 2023 के द्वितीय सप्ताह में बैंक डेट में आपसी मिलीभगत कर नामान्तरकरण के प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया था। अपीलार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि के अवैध शून्य एवं प्रभावहीन विक्रय विलेख के आधार पर प्रत्यर्थी संख्या 1 (एक) ने कृषि भूमि के **2670.921** वर्गमीटर भाग का आबादी में संपरिवर्तन, प्रत्यर्थी तहसीलदार से मिलीभगत कर दिनांक 16-5-2023 को करवा लिया है, किन्तु आबादी का नामान्तरकरण दर्ज नहीं करवाया है। यदि संपरिवर्तन आदेश को प्रभावी रखा जाता है तो अपीलार्थी के खातेदारी अधिकार समाप्त हो जायेगे और प्रत्यर्थी भूमि को खुर्द-बुर्द कर हस्तान्तरित कर देगा या ऋण का भार उस पर लाद देगा। यह कि तहसीलदार, रेवदर ने अपीलार्थी का नामान्तरकरण के प्रार्थना पत्र दिनांक 05.04.2023 को बैंकडेट में निरस्त कर दिया और हिबा (दान) में अपीलार्थी को प्राप्त कृषि भूमि का फर्जी अवैध एवं कूटरचित विक्रय विलेखों क्रमशः दिनांक 17-3-2023, जो श्री जेठाराम एवं श्री भुपेन्द्र सिंह के हक में हुआ, दिनांक 13.07.2023 को किये गये दो विक्रय विलेख जो क्रमशः ककृष्णपाल सिंह एवं नागेन्द्र सिंह के हक में किये गये के आधार श्री जेठाराम, श्री भुपेन्द्र सिंह, कृष्णपाल सिंह एवं नागेन्द्र सिंह के नाम अवैधरूप से नामान्तरकरण संख्या 2231 दिनांक 25.04.2023 एवं नामान्तरकरण संख्या 2265 दिनांक 26.07.2023 दर्ज कर दिये, जबकि इनका मौके पर कभी कब्जा नहीं रहा। इन अवैध नामान्तरकरण के बाद प्रत्यर्थी संख्या 1 (एक) के हक में प्रत्यर्थी तहसीलदार, रेवदर ने अपीलार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की खसरा संख्या 855 के भाग कर खसरा संख्या **855/2** प्रत्यर्थी संख्या 1 (एक) के नाम बताते हुये कब्जा नहीं होते हुये भी उसका आबादी भूमि में संपरिवर्तन आदेश प्रमाण पत्र क्रमांक:एलसी/2023-24/159755 दि. 16-5-2023, प्रत्यर्थी संख्या 1 (एक) के नाम **2670.921** वर्गमीटर भूमि का अवैध रूप से जारी कर दिया। हिबानामा के होते हुये उक्त वर्णित तीनों विक्रय विलेखों जो बाद में निष्पादित हुये का अपीलार्थी को हिबा (दान) दिनांक 02-9-2019 से प्राप्त कृषि भूमि पर अपीलार्थी के हित


.....पेज तीन पर


प्रति. जिला कलक्टर
सिराही (राज.)



अधिकारों पर कोई बच्चनकारी प्रभाव विधि अनुसार नहीं है। इन आरम्भतः अवैध शून्य एवं प्रभावहीन विक्रय विलेखों के आधार पर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड में अवैध नाम के आधार पर किये गये अपीलार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि का आबादी भूमि में संपरिवर्तन आदेश प्रमाण पत्र क्रमांक:एलसी/2023-24/159755 दिनांक 16-5-2023, प्रत्यर्थी संख्या 1 (एक) के नाम 2670.921 वर्गमीटर भूमि का अवैध शून्य एवं प्रभावहीन होने से निरस्त योग्य है। उक्त संपरिवर्तित भूमि पर प्रत्यर्थी संख्या 1 (एक) का कभी कब्जा नहीं रहा है। इस भूमि की खातेदारी भी प्रत्यर्थी संख्या 1 (एक) की कभी नहीं रही है। अपीलार्थी संस्था की हिबा लिखत वैध होते हुये कराया गया संपरिवर्तन स्वतः अवैध है, भूमि के खातेदारी अधिकार विवादित होना जानते हुये भी प्रत्यर्थीगण ने अवैध संपरिवर्तन की कार्यवाही की है। संपरिवर्तन हेतु निर्धारित प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया गया है। आस-पड़ौसीयो से आपत्ति भी नहीं मांगी गई। संपरिवर्तन की सम्पूर्ण प्रक्रिया विधिक रूप से छिपाकर की गई है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान विधिक दृष्टान्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय डिवीजन बेंच द्वारा सिविल अपील संख्या 1714/2005 अनवान हफीजा बीबी व अन्य बनाम शेख फरीद में पारित निर्णय दिनांक 05-5-2011 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि मुस्लिमों में सम्पत्ति के दान (हिबा) हेतु यह तत्व आवश्यक है कि दान (हिबा) की घोषणा दान दाता द्वारा की जानी चाहिये एवं दान ग्रहिता द्वारा दान (हिबा) की गई सम्पत्ति को स्वीकारना व सम्पत्ति का कब्जा दिया जाना तथा मुस्लिम विधि में दान (हिबा) की वैधता हेतु उसका लिखित होना आवश्यक नहीं है। यदि मौखिक दान (हिबा) उक्त तीनों तत्वों की पूर्ति करते हैं तो दान (हिबा) पूर्ण हो जाता है और वह अनिरस्तनीय है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की डिवीजीन बेंच ने यह भी अभिनिर्धारित किया है दान (हिबा) को यदि वह लिखित है तो उसे पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, रेवदर द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 (एक) के पक्ष में जारी संपरिवर्तन आदेश क्रमांक:LC/2023-24/159755 दिनांक 16-5-2023 को निरस्त किया जावे। जबकि बहस के दौरान प्रत्यर्थी संख्या 1 (एक) के विद्वान अधिवक्ता श्री राजपुरोहित ने यह व्यक्त किया कि अपील में वर्णित भूमि अपीलार्थी के खातेदारी व कब्जे काश्त की नहीं हैं बल्कि खसरा संख्या 855 व 858 की भूमि पूर्व में अन्य व्यक्तियों के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि थी। जिनसे पंजीकृत विक्रय विलेख के जरिये प्रत्यर्थी संख्या 1(एक) व अन्य व्यक्तियों द्वारा खरीदकर कब्जा, हक अधिकार प्राप्त कर इसका उपयोग उपभोग कर रहे हैं। अपीलार्थी नाम की कोई संस्था धार्मिक, सामाजिक व कल्याणकारी कार्य नहीं कर रही हैं तथा न ही ऐसी कोई संस्था पंजीकृत हैं। इनायत हुसैन को यह अपील कार्यवाही करने के लिए अधिकृत किया गया हो ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर प्रस्तुत किया हुआ नहीं है। नबु खा ने अपने हक हिस्से की कृषि भूमि का कभी भी अपीलार्थी संस्था को हिबा नहीं किया है, न ही नबु खा ने अपने हक हिस्से की कृषि भूमि का कब्जा अपीलार्थी संस्था को प्रदान किया है बल्कि अपील में वर्णित कृषि भूमि पूर्व में अन्य व्यक्तियों के पुश्तैनी कृषि भूमि होने से इसका उपयोग उपभोग बतौर खातेदार, पूर्व खातेदारों ही किया जा रहा था जिसको पंजीकृत विक्रय विलेख के जरिये प्रत्यर्थी संख्या 1 (एक) को विक्रय कर कब्जा सुपूर्द कर दिया एवं वर्तमान में उक्त भूमि पर कब्जा व हक अधिकार प्रत्यर्थी संख्या 1(एक) का है। अपील में वर्णित कृषि भूमि के अपने हक हिस्से को नबु खा ने कभी न तो कोई मौखिक हिबा किया, न ही लिखत हिबा किया है। ऐसी स्थिति में दूसरे व्यक्तियों के हक अधिकार व खातेदारी भूमि का नामान्तरकरण दर्ज करने का कोई अधिकार राजस्व अधिकारियों को नहीं होने से इनके द्वारा अपीलार्थी संस्था के नाम नामान्तरकरण दर्ज नहीं किया गया। पूर्व में भी अपीलार्थी संस्था द्वारा अन्य सह खातेदारान का फर्जी हिबानामा प्रस्तुत कर

.....पेज चार पर


अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)



नामान्तरकरण का प्रयास किया गया था जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। उक्त वर्णित कृषि भूमि के पूर्व खातेदार रेकर्डेड खातेदार, स्वामी होने व उक्त भूमि उनके कब्जे काश्त हक अधिकार की होने के कारण उनके द्वारा अपनी स्वतंत्र इच्छा व सहमति से बिना किसी भय, दबाव के उक्त कृषि भूमि का विक्रय प्रत्यर्थी संख्या 1 (एक) व अन्य व्यक्तियों को सम्पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर किया है तथा उसका कब्जा भी क्रेतागण को सुपूर्द कर दिया एवं प्रत्यर्थी संख्या 1(एक) व अन्य व्यक्तियों द्वारा उक्त भूमि का राजस्व रेकर्ड में अपने नाम नामान्तरकरण दर्ज करवाने के बाद इसका नियमानुसार कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजन हेतु रूपान्तरण कराने के लिये तहसीलदार, रेवदर को आवेदन करने पर तहसीलदार, रेवदर द्वारा बाद जांच व नियमानुसार शुल्क राशि वसूल कर संपरिवर्तन आदेश जारी किया गया है, जिससे उक्त पंजीकृत विक्रय विलेखों को निरस्त करवाये बिना अपीलार्थी संस्था, प्रश्नगत संपरिवर्तन आदेश को चुनौती देने के लिए कानूनन सक्षम नहीं है। अपीलार्थी संस्था फर्जी संस्था है जो गरीब व्यक्तियों की कृषि भूमि को हडपने के लिये कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा बनाई गई है। अपीलार्थी स्वयं ने इस अपील में यह स्वीकार किया है कि सरथा वर्ष 2007 में पंजीकृत की गई थी ऐसी स्थिति में नबु खां द्वारा वर्ष 2005 में संस्था के पक्ष में मौखिक हिबा किया जाना कतई संभव नहीं है परन्तु अपीलार्थी संस्था व उसके कर्ता धर्ता श्री कायम हुसैन ने वर्तमान खरीददारो को ब्लैकमेल करने के लिए गलत तथ्यों के आधार पर यह अपील न्यायालय में प्रस्तुत की है। यदि उक्त कृषि भूमि अपीलार्थी को हिबा में प्राप्त हुई होती तो वर्ष 2005 के बाद अपीलार्थी उसका नामान्तरकरण दर्ज करवाने के लिए या खातेदारी घोषणा के लिए कार्यवाही अवश्य करता, परन्तु ऐसी कोई कार्यवाही अपीलार्थी संस्था द्वारा नहीं की गई। तहसीलदार रेवदर द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 (एक) के हक में उसकी खातेदारी कृषि भूमि का विधि अनुरूप कृषि से अकृषि आबादी प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन आदेश जारी किया गया है। अपीलार्थी संस्था द्वारा पूर्व में भी इसी खसरा संख्या 855 व 858 की कृषि भूमि के दर्ज नामान्तरकरण के संबंध में एक अपील संख्या 24/2023, इस न्यायालय में ही प्रस्तुत की थी जिसे इस न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर दिनांक 13-8-2024 को अस्वीकार कर खारिज किया गया है। जिससे उन्हीं तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत यह अपील भी खारिज किये जाने योग्य है। उक्त कृषि भूमि प्रत्यर्थी संख्या 1 (एक) व अन्य लोगों को अलग अलग पंजीकृत विक्रय विलेखों के जरिये खरीद कर कब्जा प्राप्त किया गया है। तत्पश्चात् प्रत्यर्थी संख्या 1 (एक) व अन्य व्यक्तियों द्वारा अपने खातेदारी कृषि भूमि का कृषि से अकृषि आबादी प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन हेतु तहसीलदार, रेवदर को आवेदन करने पर तहसीलदार, रेवदर द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 (एक) के हक में उसकी खातेदारी कृषि भूमि का बाद जांच नियमानुसार संपरिवर्तन आदेश जारी किया गया है। अपीलार्थी संस्था द्वारा इसी कृषि भूमि के संबंध में एक खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 91, 92ए, 188, 209 के तहत सहायक कलेक्टर, रेवदर के न्यायालय में प्रस्तुत किया था, उस राजस्व वाद संख्या 240/2023 को सहायक कलेक्टर न्यायालय, रेवदर द्वारा दिनांक 01-5-2025 को अस्वीकार कर खारिज किया गया है, इसलिये अपीलार्थी की अपील कानूनन परिपोषणीय नहीं है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत हिबानाम फर्जी, कुटरचित व अपंजीकृत दस्तावेज होने के कारण अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर किसी भी प्रकार की खातेदारी अधिकार अपीलार्थी संस्था को प्राप्त नहीं हो सकते हैं, न ही ऐसे फर्जी, कुटरचित व अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर अपीलार्थी संस्था के पक्ष में नामान्तरकरण हो सकता है। अतः अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे। परोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि तहसीलदार, रेवदर द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 (एक) के पक्ष में बाद जांच नियमानुसार शुल्क राशि वसूल कर उक्त कृषि भूमि का अकृषि आबादी प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन आदेश जारी किया गया है।

.....पेज पांच पर

प्रति. जिला कलेक्टर
सिरोही (राज.)



(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रेवदर की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि तहसीलदार, रेवदर द्वारा राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 9 के अर्न्तगत प्रत्यर्थी संख्या 1 (एक) के हक में ग्राम वासन, पटवार हल्का वासन के खसरा संख्या 855/2 रकबा 2670.921 वर्गमीटर कृषि भूमि का अकृषि आवासीय इकाई प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन आदेश क्रमांक:LC/2023-24/159755 दिनांक 16-5-2023 को जारी किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 (एक) द्वारा उसकी उक्त खातेदारी कृषि भूमि का अकृषि आवासीय इकाई प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन कराने हेतु राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 के तहत तहसीलदार, रेवदर को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर तहसीलदार, रेवदर ने संपरिवर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि की पटवारी हल्का, वासन से मौके व रेकॉर्ड की जांच रिपोर्ट प्राप्त करके एवं नियमान्तर्गत निर्धारित संपरिवर्तन शुल्क राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के बाद उक्त कृषि भूमि का अकृषि आवासीय इकाई प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन आदेश जारी किया गया है, जो राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 के अर्न्तगत कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए जारी किया गया है।

प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या 1 (एक) की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि हुसैनी मिशन ग्राम विकास संस्थान, ग्राम वासन, तहसील- रेवदर, जिला- सिरोही की ओर से तहसीलदार, रेवदर को इस अपील में अंकित हिबा (दान) के आधार पर नामान्तरकरण हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को तहसीलदार, रेवदर द्वारा प्रकरण संख्या 03/2023 अर्न्तगत धारा 135(2) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 में पारित आदेश दिनांक 05-4-2023 के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा उक्त कृषि भूमि के संबंध में सहायक कलेक्टर, रेवदर के न्यायालय में भी एक राजस्व वाद, धारा 88, 89, 91, 92 ए, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रत्यर्थीगण व अन्य के विरुद्ध प्रस्तुत किया था, जिस राजस्व वाद संख्या 240/2023 में न्यायालय सहायक कलेक्टर, रेवदर द्वारा पारित आदेश व डिक्री दिनांक 01-5-2025 के अनुसार वादी का वाद खारिज किया गया है।

चूंकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 (एक) द्वारा उसकी खातेदारी कृषि भूमि के संपरिवर्तन हेतु राजस्थान भू राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन) नियम, 2007 के तहत तहसीलदार, रेवदर को आवेदन करने पर तहसीलदार, रेवदर द्वारा बाद जांच एवं निर्धारित शुल्क राशि राजकोष में जमा होने के बाद प्रत्यर्थी संख्या 1 (एक) के पक्ष में उक्त कृषि भूमि का अकृषि आवासीय इकाई प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन आदेश जारी किया गया है, जिसमें कोई अनियमितता व अविधिकता प्रतीत नहीं होती है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत अपील अपीलार्थी, अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध प्रत्यर्थीगण सारहीन होने व साबित नहीं होने से खारिज की जाती है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 28 मई, 2025 को सर-ए-ईजलास सुनाया गया।



(डॉ. दिनेश राय सापेला)

अति. जिला कलेक्टर
सिरोही (राज.)